कार्यालयः प्रधानाचार्य, संत रविदास राजकीय पॉलीटेक्निक, चकिया, चन्दौली।

आदेश

निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर के पत्रांक- I/398101/2025/ ई-प्रशा0-म0क0मी0/ छात्रवृत्ति/ छात्रवेतन, दिनांक-30.12.2025 के अनुपालन में संस्थागत समस्त छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में मेरिट कम मीन्स के अन्तर्गत पात्र छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति/ छात्रवेतन देने के सम्बन्ध में निर्देश प्राप्त हुए हैं।

उक्त छात्रवृत्ति के अन्तर्गत पात्रता हेतु निम्नलिखित शर्ते हैं—

1. उक्त छात्रवृत्ति हेतु प्रथम वर्ष (कम्प्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एवं इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल) में प्रवेश क्षमता अथवा वास्तविक प्रवेश संख्या में जो भी कम हो उसके 10 प्रतिशत के आधार पर ही छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति के योग्य माना जायेगा। जिसके लिये संस्था स्तर पर दिनांक-09.01.2026 समय पूर्वाह्न 11:00 बजे संस्था परिसर में एक छात्रवृत्ति पात्रता परीक्षा आयोजित की जायेगी।
2. द्वितीय एवं अन्तिम वर्ष के उन्हीं छात्र/छात्राओं का उपयुक्त छात्रवृत्ति का नवीनीकरण होगा जो बैक पेपर से उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण हो, (केवल स्पष्ट रूप से उत्तीर्ण छात्र/छात्राएं) तथा पूर्व में मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हों।
3. छात्र/छात्रा के माता-पिता की अधिकतम दो ही संतानें होनी चाहिए।(साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य है।)

शासन/विभाग द्वारा मेरिट कम मीन्स के अन्तर्गत छात्रवृत्ति के लिये आवेदन हेतु आवश्यक शर्तें प्राप्त धनराशि एवं अन्य विवरण हेतु निदेशक प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र० कानपुर द्वारा प्रेषित पत्र सं0-I/398101/2025/ई-प्रशा0- म0क0मी0/ छात्रवृत्ति/ छात्रवेतन, दिनांक-30.12.2025 संलग्न किया जा रहा है।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

(दिनेश कुमार)
प्रधानाचार्य
संत रविदास राजकीय पॉली०
चकिया-चन्दौली

कार्यालयः प्रधानाचार्य, संत रविदास राजकीय पॉलीटेक्निक, चकिया, चन्दौली।

पृ0 संख्याः /छात्रवृत्ति–मेरिट कम मीन्स /2025–26 दिनांकः

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त विभागाध्यक्ष/विभाग प्रभारी संस्थागत।
2. समस्त कक्षाध्यापक संस्थागत।
3. छात्र/छात्राओं में चक्रीकृत हेतु/नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

(दिनेश कुमार)
प्रधानाचार्य
संत रविदास राजकीय पॉली०
चकिया-चन्दौली

छात्रवृत्ति Nodal अधिकारी, (Mrs. Namrata Kumari)
02/01/2026.

महत्वपूर्ण/ई-मेल

प्रेषक,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा,
उ0प्र0, कानपुर।

सेवा में,

समस्त प्रधानाचार्य/निदेशक,
राजकीय/सहायता प्राप्त एवं
विशिष्ट संस्थान, उ0प्र0।

पत्रांक-I/398101/2025 /ई-प्रशा0-म0क0मी0/छात्रवृत्ति/छात्रवेतन, दिनांकः30-12-2025

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में मेरिट कम मीन्स के अन्तर्गत पात्र छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति/छात्रवेतन देने के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया राजकीय/सहायता प्राप्त बहुधंधी संस्थाओं तथा विशिष्ट संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रों के छात्रवृत्ति/छात्रवेतन हेतु पूर्व आदेशों का अतिक्रमण करते हुये वर्ष 2025-26 में योग्यता एवं साधनों पर आधारित छात्रवृत्ति/छात्रवेतन के नवीनीकरण के संबंध में निम्नवत् कार्यवाही करते हुये सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:-

1- प्रथम वर्ष में प्रवेश क्षमता अथवा वास्तविक प्रवेश की संख्या जो भी कम हो उसके 10 प्रतिशत के आधार पर ही छात्रों को मेरिट कम मींस छात्रवृत्ति प्रवेश की तिथि से रु0 25/- प्रतिमाह की दर से साढ़े दस माह के लिये दी जाती है। प्रथम वर्ष में छात्रवृत्ति परीक्षा आयोजित करके योग्यता/परिवार नियोजन 02 बच्चों तक सीमित तथा साधनों के मूल्यांकन के आधार पर स्वीकृत की जाती है। छात्रवृत्ति परीक्षा में स्पष्ट रूप से उत्तीर्ण छात्रों को छात्रवृत्ति/छात्रवेतन स्वीकृत करने का प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित किया जाये। योग्यता एवं संसाधनों को ध्यान में रखते हुये संलग्न प्रारूप पर विवरण तैयार कर छात्रवृत्ति/छात्रवेतन संबंधी प्रस्ताव अधिकतम 10 जनवरी, 2026 तक अवश्य निदेशालय को भेज दिये जायें। निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त सूचनाओं पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व संस्था प्रधानाचार्य का होगा।

2- शासनादेश सं0-11600ईडी/18ध-घ-283(एम)/ईडी/79, दिनांक 08.05.1981 के अनुसार छात्रवृत्ति/छात्रवेतन केवल उन्हीं छात्रों को दी जायेगी जिनके माता-पिता ने अपने परिवार को 02 बच्चों तक सीमित रखा हो परन्तु वर्तमान में किसी परिवार में 02 बच्चों से अधिक होने पर किसी छात्र/छात्रा को जो भी स्वीकृत छात्रवृत्ति मिल रही है वो पूर्ववत् मिलती रहेगी। यदि भविष्य में किसी परिवार में 02 बच्चों के बाद तीसरे बच्चे का जन्म हो जाता है तो तीसरे बच्चे को छात्रवृत्ति/छात्रवेतन नहीं दी जायेगी तथा 02 बच्चों तक जो भी छात्रवृत्ति/छात्रवेतन पहले से मिल रही है, यह मिलती रहेगी।

3- समस्त प्रधानाचार्य प्रथम वर्ष के छात्रों को छात्रवृत्ति/छात्रवेतन सम्बंधी प्रस्ताव तैयार कर संलग्न प्रारूप पर अलग से भरकर प्रेषित करें। द्वितीय, तृतीय एवं अन्तिम वर्ष के छात्रों की छात्रवृत्ति/छात्रवेतन की सूची में प्रथम वर्ष के छात्रों के छात्रवृत्ति/छात्रवेतन सम्बंधी प्रस्ताव सम्मिलित कर न भेजे प्रारूप-1 एवं 2 की सूचना दोनों अलग-अलग किन्तु एक साथ ही प्रेषित करें।

4- संस्था प्रधानाचार्यों से अपेक्षा है कि वे निदेशालय से स्वीकृत छात्रवृत्ति/ छात्रवेतन की धनराशि का अविलम्ब भुगतान कर रसीद प्राप्त कर लें तथा भुगतान का विवरण निदेशालय को तत्काल उपलब्ध करायें।

5- प्रधानाचार्य छात्रवृत्ति/छात्रवेतन की उतनी ही धनराशि की मांग करें जितनी उन्हें आवश्यकता है।

6- समस्त प्रधानाचार्य यह सुनिश्चित कर लें कि यदि छात्रवृत्ति/छात्रवेतन का नवीनीकरण प्रस्ताव तथा स्वीकृत धनराशि का प्रस्ताव निदेशालय में निर्धारित प्रारूप पर समय से प्राप्त नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रस्तावों पर नवीनीकरण/स्वीकृति नहीं प्रदान की जायेगी तथा पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था प्रधानाचार्य पर ही होगा।

7- उपरोक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु अनुदान सं0-47 के लेखाशीर्षक-2203-तकनीकी शिक्षा-105-बहुशिल्प विद्यालय-03-सामान्य पालीटेक्निक-21-छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन मद से वहन किया जायेगा।

8- समस्त प्रधानाचार्यो को आदेश दिये जाते हैं कि बैक पेपर से उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण छात्रों का छात्रवृत्ति/छात्रवेतन का नवीनीकरण न करे केवल स्पष्ट रूप से उत्तीर्ण छात्र का ही छात्रवृत्ति/छात्रवेतन का नवीनीकरण किया जाये।

9- उपरोक्त के संबंध में यह ध्यान रखें कि प्रारूप-1 एवं 2 में वांछित धनराशि का योग अंकित करते हुये दोनों प्रारूपों का कुल योग कवरिंग लेटर पर भी अंकित कर निदेशालय प्रेषित करें।

<u>संलग्नक-यथोपरि।</u>

भवदीय,

Digitally signed by
KAMLESH MANI
Date: 30-12-2025
13:02:57

(डॉ0 कमलेश मणि)
सहायक निदेशक,
कृते निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उत्तर प्रदेश।

<u>पृष्ठ संख्या व दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि-समस्त संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा को इस आशय से कि अपने नियंत्रणाधीन समस्त राजकीय/अनुदानित संस्थाओं को वांछित सूचना एवं गत वर्ष का उपयोजिता प्रमाण-पत्र समय से प्रेषित करने हेतु अपने स्तर से भी निर्देशित करने का कष्ट करें।

(डॉ0 कमलेश मणि)
सहायक निदेशक,
कृते निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उत्तर प्रदेश।

प्रधानाचार्य
रविदास राजकीय पालि॰
हड़िया-चन्दौली